अतिमहत्वपूर्ण

संख्या- 1396/9-1-2023-331सा/2017

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 25 मई, 2023।

विषयः-नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/ नगर पंचायतों में नवनिर्वाचित महापौरों/पार्षदों/ अध्यक्षों/सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1376/9-1-2023-331सा/2017 दिनाँक 23.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से नवनिर्वाचित महापौरों/पार्षदों/अध्यक्षों/सदस्यों को दिनाँक 26.05.2023 अथवा 27.05.2023 को शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्तानुसार शपथ ग्रहण/प्रतिज्ञान कार्यक्रम का आयोजन कराये जाने हेतु चिन्हित स्थलों पर निम्न व्यवस्थायें किया जाना आवश्यक हैः-

i) शपथ ग्रहण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त नवनिर्वाचित महापौरों/पार्षदों/अध्यक्षों/सदस्यों को पूर्ण सम्मान प्रदान किया जाय।
ii) उक्त कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित होने वाले समस्त जनप्रतिनिधियों यथा मा0 सांसद/मा0 मंत्रीगण/मा0 विधायक को यथोचित सम्मान प्रदान किया जाय।
iii) कानून एवं शांति व्यवस्था, सुरक्षा एवं यातायात प्रबन्धन हेतु समुचित पुलिस बल की तैनाती।
iv) समुचित पार्किंग व्यवस्था।
v) आकस्मिक चिकित्सा/ऐम्बुलेंस व्यवस्था।
vi) समुचित पेयजल व्यवस्था।
vii) अग्निशमन व्यवस्था।
viii) आयोजन हेतु समुचित एवं पर्याप्त अन्य व्यवस्था।

3. अतः कृपया संबंधित अधिकारियों के साथ आज ही बैठक कर समुचित निर्देश देते हुए उपरोक्त व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनाँक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निदेशक, नगर निकाय निदेशालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि समस्त नगरीय निकायों को उक्तानुसार व्यवस्थायें सुनिश्चित कराये जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव।